भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *257

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

ऊपरी भद्रा परियोजना

***257. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत की है और कर्नाटक सरकार को अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए धनराशि जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऊपरी भद्रा परियोजना के पूरा होने के फलस्वरूप मध्य कर्नाटक के सूखा प्रवण जिलों अर्थात् दावणगेरे, चिक्कमगलुरू, तुमकुरु और चित्रदुर्ग जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से 367 टैंकों को भरकर लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री सी. आर. पाटील)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"ऊपरी भद्रा परियोजना" के संबंध में दिनांक 08.08.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *257 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं की योजना तैयार करनी, उनका कार्यान्वयन और वित्तपोषण करना संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा चिह्नित सिंचाई परियोजनाओं को अपने द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, इस मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है।

मौजूदा समय में, भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए परियोजना के लिए निधियों की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

हालांकि, इस मंत्रालय की संबंधित समिति द्वारा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को स्वीकार कर लिया गया था और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड) द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया गया था, जिसके द्वारा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की सिफारिश की थी और इसके लिए वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया गया था।

इसके उपरांत, अगस्त, 2023 में राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव को लिया है।

हालांकि, इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए किसी परियोजना को शामिल किए जाने का अनुमोदन, संबंधित परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय, शेष लागत और शेष लागत के आधार पर अद्यतन पात्र केन्द्रीय सहायता सहित उस परियोजना के अद्यतन वित्तीय ब्यौरों का संकलन किया जाना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना को शामिल किए जाने संबंधी निर्णय उपलब्ध निधियों, योजना के अंतर्गत भौगोलिक वितरण, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्राथमिकता आदि पर निर्भर करता है।

(ग): जी, हां।

(घ): इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस परियोजना को मार्च, 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

*****